

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) Employees' State Insurance Corporation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



म्ख्यालय/Headquarters

MSU Branch

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. रोड, नई दिल्ल

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi (http://esic.nic.in)

File No. A-38/15/2/Misc/DoP/2023-MSU

Date- 31.07.2024

<u> परिपत्र/Circular</u>

विषय: गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

Subject: Report submission on Visits of Dignitaries-regarding.

यह देखा गया है कि ईएसआईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में महानिदेशक, सचिव, माननीय राज्य मंत्री, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के बाद, दौरे की रिपोर्ट और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को समय पर मुख्यालय कार्यालय नहीं भेजा जा रहा है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि विजिट नोट और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अगले दिन मुख्यालय कार्यालय में संबंधित मंडल प्रमुख को और एमएसयू शाखा एक प्रति के साथ भेजी जानी चाहिए। संबंधित आरओ/एसआरओ/ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज/ईएसआईसी अस्पताल को दौरे के ठीक बाद उपरोक्तानुसार तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी स्थानीय मीडिया कवरेज, क्लिपिंग आदि अगली सुबह मुख्यालय को भी भेजी जाए।

It has been observed that after the visit of Director General, Secretary, MoS, HLEM

and other dignitaries to different field offices of ESIC, the Visit Report and Action Taken Report in respect of the points raised by the visiting dignitaries are not being sent timely to Hqrs office. In this respect it has been directed by Competent Authority that the visit note and Action Taken Report should invariably be sent to the Concerned Divisional Head at headquarters office along with a copy to MSU Branch on the following day for further necessary action at Hqrs level. The concerned RO/SRO/ESIC Medical college/ESIC Hospital must take immediate action as above, just after the visit. In addition, it should also be ensured that any local media coverage, clippings etc are also to be sent to headquarters office, the very next morning.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of competent authority.

- Grandi

(के.पी. पांडे)

(K.P. Pandey)

उप निदेशक (एमएसयू)

Deputy Director (MSU)

To,

सभी चिकित्सा आयुक्त (जोनल)/ सभी बीमा आयुक्त (जोनल), सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक सभी क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी)/उप निदेशक (प्रभारी)। मेडिकल कॉलेजों के सभी डीन/ईएसआईसी अस्पतालों के एमएस वेबसाइट सामग्री प्रबंधक

All Medical Commissioners (Zonal)/ All Insurance Commissioners (Zonal),

All Additional Commissioners and Regional Directors

All Regional Director(I/c)s/ Deputy Director(I/c)s

All Deans of Medical Colleges/MSs of ESIC Hospitals

The website content manager